ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 3829 /12–1(2) दिनांक 22/05/2025::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में कूड़ा निस्तारण स्थल के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/148185/2021

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक–2995/FP/UK/Others/148185/2021 दिनांक 14.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल स्तर से वांछित सूचना अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ने उनके पत्रांक–145/SWM(Land Transfer)/2025-26 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा बिन्दुवार निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव मूल सहित चार हार्ड प्रतियों में निम्न प्रकार प्रेषित किया है तथा संशोधित प्रपत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–। में ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं, जो कि अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में संलग्न कर प्रेषित हैं।

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव कितने वर्षों हेतु लीज पर लिया गया है, इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है एवं ऑन लाईन पैरा–A.1(X) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु लीज पर ली गयी है इसकी अवधि अंकित नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– उक्त वन भूमि नगर पंचायत अगस्त्युनि को पूर्ण हस्तान्तरण किया जाना है। अतः लीज की अवधि अंकित नहीं की गयी है।
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र (प्रपत्र–23, 23.1, 23.2, Annexure-I & II) तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं आनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिये गये हैं।
3	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की KML File में ले आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित KML File यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– प्रस्तावित निर्माण कार्य का ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करते हुए यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना की KML file में ले आउट प्लान को दर्शाते हुए संशोधित KML file यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।

क्रमशः–2 पर

4	प्रस्ताव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूड़ा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 **(प्रति संलग्न है)** की धारा–15(म) के अनुसार 5 मिट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक अपशिष्ट होने पर ही अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन एवं निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिये स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित राज्य प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन अपेक्षित है। वर्तमान में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में लगभग 2 मिट्रिक टन अपशिष्ट उत्पादित होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डीपीआर की Executive Summary की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।
5	प्रस्ताव के ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट–। के पैरा–E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा ऑनलाईन 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गई है। अतः इस सम्बन्ध में सूचित किया जाय कि क्या प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन में 50 लोगों को आपके द्वारा स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, अन्यथा सही सूचना भरी जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– प्रस्ताव के ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट–1 के पैरा–E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में त्रुटिवश 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गयी थी, जिसे ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट–। के पैरा–E में (7 स्थाई एवं 10 अस्थाई रोजगार) संशोधित सूचना भरी गई है।
6	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–K में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित सूचना अपलोड नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– प्रस्ताव के आनलाईन पार्ट–I के पैरा–K में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित सूचना (प्रपत्र–23, 23.1,23.2, Annexure-I &II) अपलोड कर दी गई है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामन्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची (प्रपत्र संख्या–15.4 व 15.5) तैयार कर आनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (संशोधित प्रस्ताव मूल सहित चार प्रतियों में)

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या – /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

प्राप्त 15/05/2025

।।कार्यालय, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)।।

पत्रांक संख्या– 145 / SWM(land Transfer) / 2025–26 दिनांक– 13/05/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

रूद्रप्रयाग।

विषय–नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में कूडा निस्तारण स्थल के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2540 / 12–(1), दिनांक 21 / 07 / 2023 के द्वारा नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के कूडा निस्तारण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून के पत्र संख्या–2995 / FP/UK/Others/148185/2021, दिनांक 14 / 06 / 2022 के द्वारा लागाई गयी 07 बिन्दुओं की आपत्ति का बिन्दुवार उत्तरालेख कार्यालय पत्रांक संख्या–785 / SWM(land Transfer) / 2022–23 दिनांक 23 / 09 / 2023 के द्वारा प्रेषित किया गया था जिस पर आप द्वारा साइड प्लान एवं KML File में भिन्नता होने की आपत्ति लगाई गयी है।

निकाय द्वारा आप द्वारा लागाई गयी आपत्तियों का पुनः निराकरण कर आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नुसार है–

क्र. सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	प्रस्ताव कितने वर्षों हेतु लीज पर लिया गया है, इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है एवं ऑन लाईन पैरा –A.1(x) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु लीज पर ली गयी है इसकी अवधि अंकित नहीं की गयी है।	महोदय उक्त वन भूमि को नगर पंचायत अगस्त्युनि को पूर्ण हस्तान्तरण किया जाना है। अतः लीज की अवधि अंकित नहीं की गयी है।
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख / प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कने का कष्ट करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख / प्रमाण पत्र (प्रपत्र–23, 23.1,23.2, Annexure-I &II) तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं आनलाईल यथास्थान पर अपलोड कर दिये गये हैं।
3	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले– आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की KML File में ले आउट प्लान को इर्शाते हुये पुनः संशोधित KML File यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	निर्माण कार्य का ले–आउट प्लान तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करते हुए यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है साथ ही परियोजना की KML FILE में ले आउट प्लान को भी दर्शाते हुए संशोधित KML FILE यथा स्थान अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रस्ताव में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूडा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08 / 04 / 2016 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, की धारा 15 (म) के अनुसार 5 मिट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक अपशिष्ट होने पर ही अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन एवं निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित राज्य प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन आपेक्षित है। महोदय वर्तमान में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में लगभग 2 मिट्रिक टन अपशिष्ट उत्पादित होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबबन्धन डीपीआर की Executive Summary की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न हैं। अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति आपेक्षित नहीं है।
5	प्रस्ताव के ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट–1 के	प्रस्ताव के ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट–1 के पैरा–E में

	पैरा–E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा आंन लाईन 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गई है। अतः इस सम्बन्ध में सूचित किया जाय कि यथा प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन में 50 लोगों को आपके द्वारा स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा सही सूचना भरी जाय।	प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में त्रुटिवश 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गयी है। जिसे ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट–1 के पैरा–E में संशोधित कर 7 स्थाई एवं 10 अस्थाई रोजगार कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–K में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित सूचना अपलोड नहीं की गयी है।	प्रस्ताव के आनलाईन पार्ट–I के पैरा–K में वन अधिकारी अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र (प्रपत्र–23, 23.1,23.2, Annexure-I &II) तैयार कर प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामन्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संर्लन करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षो का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश मान सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रपत्र संख्या–**15.5** व **15.4** तैयार कर आनलाईन उपलोड कर दिया गया है।

निकाय प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण भी परिवेश पोर्टल के पार्ट–I पैरा B–2.4 Component wise breakup में आनलाईन अंकित कर दिया गया है। अतः महोदय सूचना सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार</u>

Nikita
13/05/25

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

प्रतिलिपि–: नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

व0 भू0 इ0
आ0 कार्य0 करें।
प्र0 व0 अधि0